# पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

चौथा एवं पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पीटल रोड,

शास्त्री नगर, पटना - 800023

---

सं0सं0–प0महा0क्षे0प्रा0– 19 पटना, दिनांक– 17/02/2018

प्रेषक,

**प्रभारी निदेशक,**
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार।
पटना।

सेवा में,

**श्री उपेन्द्र कुमार एवं अन्य,**
**आस्तिक बिल्डकॉन प्रा0 लि0,**
पटना।

**विषयः–** **प्लान केस सं0– PMAA/PRN/Ashopur/B + L.G + U.G + 07/05/2017 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0– PMAA/PRN/Ashopur/B + L.G + U.G + 07/05/2017 के संदर्भ में **श्री उपेन्द्र कुमार एवं अन्य, पिता–स्वर्गीय मुशाफिर साव, आस्तिक बिल्डकॉन प्रा0 लि0,** के भवन निमार्ण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना स्कीम के तहत सर्वे प्लॉट सं0. 671, 672, 673, 674, 665, B + L.G +U.G +07, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(i) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रुप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नही किया जाएगा।

(ii) विकास पूर्ण रुप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(iii) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 2681.52 वर्ग मीटर का पार्किग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नही किया जाएगा। बेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपनिधि के आलोक में प्रवधान करना होगा।

(iv) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(v) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पटना मास्टर प्लान 2031 के 30m चौड़ी सड़क हेतु आवेदक 757.91 वर्गमीटर, चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रुप में प्राधिकार को देगा इस पर किसी प्रकार का दावा नही होगा और किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।

(vi) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(vii) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(viii) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौड़ान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ix) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रृटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूध विधि सम्मत कार्रवायी की जायेगी।

(x) बिहार भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू–सम्पदा विनियामन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

(xi) निर्माणकर्त्ता को प्राधिकार के विनिर्देशो के अनुसार मल जल निकास, जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का एवं बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक मे विकास होगा।

(xii) समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रुप से पालन करना अनिवार्य होगा।

(xiii) नक्शा में दर्शाया गया S.T.P. एवं Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रुप से करना होगा।

(xiv) पुरे प्लॉट एरिया का 10% एरिया ग्रीन एरिया के रूप में उपयोग में लाया जाएगा।

विश्वासभाजन,

16/2/18

प्रभारी निदेशक 16/2/18
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार
पटना